फर्जी दस्तावेज से एक्टिवेट सिम से यूपी में 16 .60 लाख की ठगी

- दुधिया के मोबाइल दुकानदार ने कमीशन के लिए साइबर ठगों को बेची सिम
- एनसीआरपी जांच में सामने आईं दो शिकायतें

कमीशन लेकर साइबर अपराधियों को बेच देता था सिम

पूछताछ में सामने आया कि दुकान पर सिम लेने आने वाले ग्राहकों के दस्तावेज और बायोमेट्रिक का इस्तेमाल कर वह उनकी जानकारी के बिना अतिरिक्त सिम एक्टिवेट करता था. इसके बाद इन सिम को कमीशन लेकर साइबर अपराधियों को बेच देता था. पुलिस अब उसके द्वारा एक्टिवेट की गई अन्य सिम का रिकॉर्ड खंगाल रही है. क्राइम ब्रांच यह भी पता लगा रही है कि इन सिम का इस्तेमाल देश के किन-किन राज्यों में साइबर अपराधों के लिए किया गया और इस नेटवर्क में उसके संपर्क किन लोगों से थे. मामले में एडिशनल डीसीपी, राजेश दंडोतिया ने बताया कि संदिग्ध सिम और साइबर शिकायतों के डेटा का मिलान कर कनेक्शन सामने आया है. अब आरोपी के पुराने सिम रिकॉर्ड और उनसे जुड़े मामलों की जांच की जा रही है, ताकि पूरे नेटवर्क तक पहुंचा जा सके.

नव भारत न्यूज

इंदौर. ग्राहकों के दस्तावेज और बायोमेट्रिक का दुरुपयोग कर उनकी जानकारी के बिना सिम एक्टिवेट कर साइबर अपराधियों को बेचने का मामला सामने आया है. ऐसी ही एक सिम का इस्तेमाल उत्तर प्रदेश में दो साइबर ठगी की वारदातों में हुआ, जिनमें 16 लाख 60 हजार 991 रुपए की रकम ठगी गई.

गृह मंत्रालय के आई4सी पोर्टल और राज्य साइबर पुलिस मुख्यालय भोपाल से मिले संदिग्ध इनपुट के आधार पर क्राइम ब्रांच ने पीओएस एजेंटों से जुड़ी सिम की जांच शुरू की थी. इसी दौरान दुधिया स्थित धर्मेंद्र मोबाइल शॉप के संचालक धर्मेंद्र अहिरवार की ओर से एक्टिवेट की गई सिम का मिलान एनसीआरपी पोर्टल पर दर्ज साइबर शिकायतों से किया. जांच में सामने आया कि आरोपी द्वारा एक्टिवेट की गई एक सिम से उत्तर प्रदेश में दो अलग अलग साइबर अपराध हुए हैं. इसके बाद क्राइम ब्रांच ने बाणगंगा क्षेत्र के शिवकंड नगर से धर्मेंद्र अहिरवार को गिरफ्तार किया, वह मूल रूप से गुना का रहने वाला है.

प्लॉट दिलाने के नाम पर 8 .25 लाख की धोखाधड़ी

इंदौर. विजय नगर थाना क्षेत्र में प्लॉट दिलाने के नाम पर 8 .25 लाख रुपए की धोखाधड़ी का मामला सामने आया है. शगुन टावर स्थित एडलवाइस फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड के संचालकों पर आरोप है कि उन्होंने पीड़ित से 5 .25 लाख और 3 लाख रुपए की दो डीडी अपने पास रख लीं. शिकायत पर पुलिस ने तीन लोगों के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया है.

स्कीम नंबर 74 निवासी विवेक काकरेचा ने पुलिस को बताया कि कंपनी संचालक महेंद्र सिंह, संतोष राजपूत और आदित्य कुमार ने प्लॉट दिलाने का भरोसा दिया था. इसी सिलसिले में उन्होंने दोनों डीडी आरोपियों को दी थीं. बाद में उन्हें डीडी का फर्जी तरीके से इस्तेमाल कर बैंक से रकम क्लियर कराने की आशंका हुई. विवेक की शिकायत पर विजय नगर पुलिस ने तीनों आरोपियों के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है.

5 करोड़ के म्यूल खाते की जांच में सामने आया चाइनीज कनेक्शन

- टेलीग्राम चैनलों से चीनी एजेंटों तक पहुंचता था बैंक खातों और सिम का डेटा
- विशेष ऐप से ओटीपी होता था बायपास

नव भारत न्यूज

इंदौर. यूको बैंक की महू शाखा के खाते से देशभर में करीब 5 करोड़ रुपए की साइबर ठगी की जांच अंतरराष्ट्रीय नेटवर्क तक पहुंच गई है. पूछताछ में पता चला कि भारतीय बैंक खातों, सिम और इंटरनेट बैंकिंग से जुड़ी जानकारी टेलीग्राम के चाइनीज चैनलों के जरिए विदेशी ऑपरेटरों तक पहुंचाई जाती थी. विशेष ऐप के जरिए बैंक का ओटीपी मोबाइल पर दिखाई देने के बजाय सीधे ऑपरेटर के सर्वर तक पहुंच जाता था.

गिरफ्तार दीपक राव और गौरव राठौर से पूछताछ में सामने आया कि गिरोह भारतीय बैंक खातों के साथ आईएफएससी कोड, इंटरनेट बैंकिंग की जानकारी और पंजीकृत मोबाइल नंबरों का डेटा जुटाता था. यह जानकारी टेलीग्राम पर चलने वाले चाइनीज चैनलों के जरिए चीनी कंपनियों के एजेंटों तक पहुंचाई जाती थी. जांच में सोलएसएमएस, ड्रीमपे और ऐप-रिलीज नाम के विशेष एपीके की जानकारी सामने आई है. संबंधित बैंक की सिम वाले मोबाइल में ऐप सक्रिय होते ही उसका सर्वर ऑनलाइन यानी ग्रीन हो जाता था. इसके बाद बैंक से भेजा गया ओटीपी सामान्य संदेश के रूप में मोबाइल धारक को दिखाई देने के बजाय सीधे सर्वर के जरिए ऑपरेटर तक पहुंच जाता था और खातों से रकम निकालने का सिलसिला शुरू कर दिया जाता था.

ठगी की रकम को गेमिंग फ्रॉड और मर्चेंट क्यूआर कोड के जरिए भी दूसरे खातों में पहुंचाया जाता था. पूछताछ में सिटी यूनियन बैंक के खातों में ई-टोकन और सॉफ्ट टोकन के इस्तेमाल की जानकारी भी मिली है. इससे बार-बार ओटीपी की जरूरत के बिना लेन-देन किया जा सकता था. आरोपी चार बड़ी चीनी कंपनियों और उनके करीब 8 से 10 एजेंटों के सीधे संपर्क में थे.

फर्जी क्रिप्टो निवेश के नाम पर 17 .84 लाख ठगे

- कमीशन पर बैंक खाते लेकर खपाते थे रकम, 10 गिरफ्तार
- यूएसडीटी के जरिए नकद और दूसरे खातों में पहुंचाते थे ठगी की राशि

नव भारत न्यूज

इंदौर. क्रिप्टो करेंसी में निवेश पर भारी मुनाफे का झांसा देकर एरोड्रम क्षेत्र में 17 लाख 84 हजार रुपए की ऑनलाइन ठगी करने वाले संगठित गिरोह का पुलिस ने खुलासा किया है. जांच में सामने आया कि ठगी की रकम अलग अलग बैंक खातों में पहुंचाने के बाद उसे यूएसडीटी क्रिप्टो करेंसी के जरिए नकद और दूसरे खातों में ट्रांसफर कर खपाया जाता था. मामले में पुलिस ने गिरोह के 10 आरोपियों को गिरफ्तार किया है.

पुलिस के अनुसार, एरोड्रम क्षेत्र के नितेश से अज्ञात लोगों ने क्रिप्टो करेंसी में निवेश कराने के नाम पर 17 लाख 84 हजार रुपए ठग लिए थे. शिकायत के बाद पुलिस ने रकम जिन बैंक खातों में पहुंची, उनका रिकॉर्ड और राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल पर दर्ज जानकारी खंगालना शुरू की. जांच के दौरान पुलिस ने सबसे पहले संदीप, सन्नी और आलोक को पकड़ा. पूछताछ में मिली जानकारी और बैंक खातों की कड़ियां जोड़ने के बाद भावेश, आदित्य, साहिल, निलेश, जयवर्धन, प्रदीप और राजेंद्र को गिरफ्तार किया. इस तरह मामले में गिरफ्तार आरोपियों की संख्या 10 हो गई.

वारदात में इस्तेमाल मोबाइल और अन्य साक्ष्य जब्त

पूछताछ में पता चला कि गिरोह कमीशन के बदले दूसरे लोगों के बैंक खाते हासिल करता था. ठगी की रकम इन खातों में आने के बाद उसे यूएसडीटी में बदला जाता था. पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से वारदात में इस्तेमाल किए गए मोबाइल फोन और अन्य डिजिटल साक्ष्य जब्त किए हैं. सभी आरोपियों को पुलिस रिमांड पर लेकर इस अपराध में जुड़े अन्य लोगों तक पहुंचने का प्रयास कर रही है.

जमानत खारिज होते ही जिला कोर्ट से चकमा देकर भागा बदमाश

इंदौर. एमजी रोड थाना क्षेत्र स्थित जिला न्यायालय परिसर में आर्म्स एक्ट के मामले में सरेंडर करने पहुंचा बदमाश जमानत खारिज होने के बाद पुलिस को चकमा देकर भाग निकला. कोर्ट ने उसे सेंट्रल जेल भेजने के लिए जेल वारंट तैयार करने के आदेश दिए थे. इसी दौरान आरोपी अभिरक्षा से फरार हो गया. केईएच कंपाउंड निवासी सन्नी पिता दीपक शिंदे के खिलाफ संयोगितागंज थाने में आर्म्स एक्ट का प्रकरण दर्ज है. उसने 12 अगस्त को कोर्ट नंबर 43/01 में आत्मसमर्पण किया था. सुनवाई के दौरान उसकी जमानत अर्जी खारिज कर दी गई और जेल भेजने की प्रक्रिया शुरू हुई. इसी दौरान सन्नी पुलिसकर्मियों को चकमा देकर कोर्ट परिसर से निकल गया.

किराए के बैंक खातों से साइबर ठगी की रकम खपाने वाला सिंडिकेट पकड़ा

- एक खाते में महीनेभर में 3 .42 करोड़ का संदिग्ध लेनदेन
- म्यूल खातों के खिलाफ देशभर में 200 से ज्यादा शिकायतें

नव भारत न्यूज

इंदौर. साइबर ठगों तक बैंक खाते पहुंचाकर ठगी की रकम खपाने वाले नेटवर्क का एरोड्रम पुलिस ने खुलासा किया है. गिरोह लोगों को 4 से 5 हजार रुपए का लालच देकर उनके नाम पर बैंक खाते खुलवाता था और चेकबुक, एटीएम कार्ड, सिम व इंटरनेट बैंकिंग की जानकारी साइबर अपराधियों को सौंप देता था. जांच में एक खाते से एक महीने में 3.42 करोड़ रुपए का संदिग्ध लेनदेन मिला है.

मामले की शुरुआत एरोड्रम क्षेत्र में विपिन गंगवाल से हुई 1 लाख 44 हजार रुपए की साइबर ठगी की जांच से हुई. ठगी की रकम जिस खाते में पहुंची, उसकी केवाईसी और बैंक स्टेटमेंट की जांच में सूरज जायसवाल का नाम सामने आया. खाते की पड़ताल में एक महीने के भीतर 3 करोड़ 42 लाख रुपए का संदिग्ध लेनदेन मिला. पूछताछ आगे बढ़ने पर पुलिस एमआईजी क्षेत्र तक पहुंची, जहां से गिरोह के मुख्य आरोपी हर्ष प्रजापति सहित सौरभ, पवन जादौन, हरिओम और आयुष को गिरफ्तार किया. एक अन्य आरोपी फरार है. जांच में यह भी सामने आया कि अमन के खाते में 17.50 लाख रुपए का संदिग्ध लेनदेन हुआ है. गिरोह लोगों को खाते के बदले कुछ हजार रुपए देता था. इसके बाद उनके खातों की चेकबुक, एटीएम कार्ड, सिम और इंटरनेट बैंकिंग से जुड़ी जानकारी अपने कब्जे में लेकर साइबर ठगों को उपलब्ध कराई जाती थी. इन खातों का इस्तेमाल ठगी की रकम प्राप्त करने और आगे ट्रांसफर करने के लिए किया जाता था.

आरोपियों के पास से यह सामग्री की गई जब्त

पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 34 एटीएम कार्ड, 12 पासबुक, 24 चेकबुक, 8 मोबाइल, वाई-फाई राउटर, 1.08 लाख रुपए नकद और पासवर्ड लिखी एक डायरी बरामद की है. डीसीपी जोन 1 नरेंद्र सिंह रावत ने बताया कि एनसीआरपी पोर्टल पर खातों की जांच में सामने आया कि गिरोह से जुड़े म्यूल खातों के खिलाफ देशभर में 200 से ज्यादा साइबर अपराध की शिकायतें दर्ज हैं. मामले में संगठित अपराध की धारा 112 भी जोड़ी गई है. पुलिस अब बैंक खातों में हुए लेनदेन की कड़ियां जोड़ने के साथ यह पता लगा रही है कि खातों को साइबर ठगों तक पहुंचाने में बैंक से जुड़े किसी व्यक्ति की भूमिका थी या नहीं.

एक नजर में

चीख सुन दौड़ी महिला पुलिसकर्मी, करंट से झुलस रहे मासूम की बचाई जान

इंदौर. मंदिर परिसर से बच्चों के लगातार चीखने की आवाज सुनकर घर से बाहर निकली महिला पुलिसकर्मी ने पीछे झाड़ियों में करंट की चपेट में आए छह साल के बच्चे को अचेत पड़ा देखा. बच्चे के हाथ में बिजली का तार था. महिला पुलिसकर्मी ने तत्काल तार हटाकर उसे अस्पताल पहुंचाया, जहां समय पर उपचार मिलने से उसकी जान बच गई. डीसीपी जोन 2 कार्यालय में पदस्थ निकिता जोशी शाम को ड्यूटी खत्म कर घर पहुंची थीं. इसी दौरान घर के सामने मंदिर परिसर से बच्चों के चिल्लाने की आवाज आई. आवाज में घबराहट महसूस होने पर वे तुरंत मंदिर की ओर गईं. मंदिर के पीछे झाड़ियों में करीब छह साल का बच्चा अचेत पड़ा था. आवाज देने पर भी वह प्रतिक्रिया नहीं दे रहा था. निकिता ने देखा कि उसके हाथ में बिजली का तार था. उन्होंने सावधानी से बच्चे को तार से अलग किया. तार हटने के बाद बच्चे ने आंखें खोलीं और निकिता से कहा कि उसे अस्पताल ले चलें. निकिता ने बच्चे को गोद में उठाया और परिजनों की मदद से उसे तत्काल अस्पताल पहुंचाया. समय पर उपचार मिलने से बच्चे की हालत में सुधार हुआ और उसकी जान बच गई. घटना के बाद बच्चे के परिजनों ने निकिता जोशी का आभार जताया.

मायके से 5 लाख नहीं लाने पर नवविवाहिता को घर से निकाला

इंदौर. सिमरोल थाना क्षेत्र में शादी के बाद मायके से 5 लाख रुपए लाने के लिए नवविवाहिता को प्रताड़ित करने का मामला सामने आया है. आरोप है कि रकम नहीं देने पर पति समेत ससुराल वालों ने महिला को घर से निकाल दिया. शिकायत पर पुलिस ने चार लोगों के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया है. दतौदा में रहने वाली पायल पति हर्षित परमार ने पुलिस को बताया कि शादी के बाद से पति हर्षित आए दिन मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित करता था. बाद में ससुर लखन परमार, सास मायाबाई और बड़ी सास सुनीता परमार भी 5 लाख रुपए लाने का दबाव बनाने लगे. रकम का इंतजाम नहीं होने पर आरोपियों ने उसे घर से निकालते हुए कहा कि बिना पैसे लिए वापस नहीं आना. इसके बाद पायल मायके पहुंची और परिजनों के साथ थाने में शिकायत की. सिमरोल पुलिस ने पति हर्षित, ससुर लखन, सास मायाबाई और बड़ी सास सुनीता के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

अलग सोने की बात पर पत्नी को पीटा, सास ने भी बाल पकड़कर पटका

इंदौर. परदेशीपुरा थाना क्षेत्र में पति के ओंकारेश्वर से लौटने के बाद पत्नी से अलग सोने की बात पर विवाद हो गया. आरोप है कि पति धीरज राणा ने पत्नी पूनम के पेट में लातें मारीं और नुकीली वस्तु से उसके हाथ पर वार कर दिया. महिला के चिल्लाने पर पहुंची सास ललिता राणा ने भी उसके बाल पकड़कर जमीन पर पटक दिया. शिवाजी नगर निवासी पूनम ने पुलिस को बताया कि धीरज लौटने के बाद उसके पास सोने लगा था. पूनम ने उसे अलग सोने के लिए कहा तो वह गाली-गलौज करने लगा. विरोध करने पर मारपीट शुरू कर दी. हमले में उसके दाहिने हाथ पर गहरा घाव हो गया. शिकायत के बाद परदेशीपुरा पुलिस ने पति धीरज राणा और सास ललिता राणा के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

ड्यूटी पर पुलिसकर्मी से झूमाझटकी

इंदौर. सांवेर के रेस्ट हाउस तिराहे पर ड्यूटी कर रहे पुलिसकर्मी से विवाद के बाद चार लोगों ने झूमाझटकी कर दी. आरोपियों ने जवान को जबरन अपनी गाड़ी में बैठाकर ले जाने की कोशिश की और धमकी भी दी. शिकायत के बाद पुलिस ने चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया. आरक्षक अशोक पिता विक्रम सिंह चंद्रवंशी तिराहे पर ड्यूटी कर रहे थे. इसी दौरान संदीप चंगेड़िया, उसके बेटे ऋषभ व आयुष तथा सुभाष पटेल वहां पहुंचे और उनसे विवाद करने लगे. गाली-गलौज के बाद आरोपियों ने अशोक से हाथापाई शुरू कर दी. आरोप है कि चारों ने पुलिसकर्मी को खींचकर गाड़ी में बैठाने का प्रयास किया. किसी तरह बचकर अशोक ने थाने पहुंचकर शिकायत की. सांवेर पुलिस ने संदीप, ऋषभ, आयुष और सुभाष के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर चारों को गिरफ्तार कर लिया है.

लेनदेन का हिसाब करने गए छात्र पर हमला

इंदौर. भंवरकुआं थाना क्षेत्र में पुराने पैसों के लेनदेन का हिसाब करने गए छात्र पर तीन लोगों ने साथियों के साथ हमला कर दिया. मारपीट के दौरान आरोपी ने भारी पत्थर उठाकर छात्र के हाथ पर मार दिया, जिससे वह घायल हो गया. आरोपियों ने उसे धमकी भी दी. शिवमपुरी स्थित उज्जवल हॉस्टल में रहने वाले बलराज जाट ने पुलिस को बताया कि वह गुरमीत नगर के प्राइम स्टे हॉस्टल के पास राहुल पांडे से पुराने लेनदेन की बात करने पहुंचा था. इसी दौरान राहुल और चिराग पांडे गाली गलौज करने लगे. विरोध करने पर दोनों ने अपने चाचा कृपाशंकर पांडे और अन्य साथियों को बुला लिया. आरोप है कि सभी ने बलराज को घेरकर लात घूंसों से पीटा. इसी दौरान कृपाशंकर ने पत्थर उठाकर उसके बाएं हाथ पर दे मारा. घायल छात्र की शिकायत पर भंवरकुआं पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

महालक्ष्मी नगर के सूने फ्लैटों में नकबजनी, दो बदमाश गिरफ्तार

नव भारत न्यूज

इंदौर. लसूड़िया थाना क्षेत्र के महालक्ष्मी नगर में सूने फ्लैटों के ताले तोड़कर जेवर चोरी करने वाले दो बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है. दोनों के कब्जे से 32 ग्राम सोने के आभूषण बरामद हुए हैं, जिनकी अनुमानित कीमत करीब 4.5 लाख रुपए है.

महालक्ष्मी नगर में 12 अगस्त को अंजली पटवारी और 20 अगस्त को साक्षी तोमर के बंद फ्लैटों में चोरी हुई थी. दोनों मामलों की जांच के दौरान पुलिस ने घटनास्थल और आसपास के रास्तों पर लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली. इसमें दोनों वारदातों के बाद एक जैसे हुलिए वाले संदिग्ध दिखाई दिए. एक संदिग्ध चर्च कंपाउंड निवासी साहिल पिता अश्विन सिंह बीष्ट को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई. उसने पुष्प रतन कॉलोनी निवासी अनुराग उर्फ भय्यू दुबे के साथ मिलकर दोनों फ्लैटों में चोरी करना बताया. इसके बाद पुलिस ने अनुराग को भी गिरफ्तार कर लिया. पूछताछ में सामने आया कि दोनों महंगे शौक और लग्जरी जीवनशैली के लिए चोरी करते थे. पुलिस ने उनके कब्जे से चोरी किए गए सोने के जेवर बरामद कर लिए हैं.

एक आरोपी के खिलाफ पहले से ही 15 तो दूसरे पर दर्ज हैं चार केस

आपराधिक रिकॉर्ड की जांच में साहिल के खिलाफ चोरी, मारपीट और एनडीपीएस से जुड़े 15 मामले दर्ज मिले हैं, जबकि अनुराग के खिलाफ चार प्रकरण दर्ज हैं. लसूड़िया पुलिस अब दोनों आरोपियों से पूछताछ कर रही है. उनके पुराने आपराधिक रिकॉर्ड और शहर में हाल में हुई नकबजनी की घटनाओं का मिलान किया जा रहा है, ताकि पता लगाया जा सके कि दोनों किसी अन्य वारदात में भी शामिल रहे हैं या नहीं. मामले में अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त, अमरेंद्र सिंह ने बताया कि सीसीटीवी फुटेज से आरोपियों के आने-जाने का रूट ट्रैक किया था. इसी आधार पर एक आरोपी तक पहुंचने के बाद दूसरे की पहचान हुई. बरामदगी के साथ दोनों के पूर्व आपराधिक रिकॉर्ड की भी जांच की जा रही है.

फिंगरप्रिंट से चंद दिनों में ही हो गई क्षत-विक्षत शव की पहचान

इंदौर. ट्रेन की चपेट में आने से क्षत-विक्षत हुए अज्ञात शव की पहचान फिंगरप्रिंट के जरिए कर ली गई. शव की पहचान करना मुश्किल था, लेकिन जीआरपी की फिंगरप्रिंट शाखा ने मृतक के अंगुलियों के निशान राष्ट्रीय स्वचालित फिंगरप्रिंट पहचान प्रणाली (नाफिस) में मिलाए, जिससे कुछ ही समय में मृतक की पहचान हो गई.

23 अगस्त को मांगलिया स्टेशन के पास वीरभूमि एक्सप्रेस की चपेट में आने से एक व्यक्ति की मौत की सूचना स्टेशन मास्टर ने जीआरपी को दी थी. हादसे में शव बुरी तरह क्षत-विक्षत हो गया था. मौके पर पहुंची जीआरपी ने शव को पोस्टमार्टम के लिए एमवाय अस्पताल भेजा और पहचान के प्रयास शुरू किए. शव की पहचान के लिए फिंगरप्रिंट लिए गए और उनकी स्लिप फिंगरप्रिंट शाखा रेल इंदौर भेजी गई. शाखा ने नाफिस प्रणाली में निशानों का मिलान किया तो मृतक की पहचान राजेश पिता भेरूलाल, निवासी सोयतकला, जिला आगर-मालवा के रूप में हुई. पहचान की पुष्टि होने के बाद पुलिस ने परिजनों से संपर्क किया. परिजन थाने पहुंचे और शव की शिनाख्त की. इस तरह तकनीकी जांच के जरिए अज्ञात शव की पहचान होने से पुलिस को परिजनों तक पहुंचने में भी मदद मिली. इस कार्रवाई में जीआरपी थाना प्रभारी निरीक्षक रश्मि पाटीदार, फिंगरप्रिंट शाखा के निरीक्षक पवन वर्मा, सहायक उपनिरीक्षक अकबर खान, प्रधान आरक्षक दयाशंकर तिवारी और कौशल प्रधान की भूमिका रही.

बेटे को धमकियां मिलने के बाद मां ने खाया जहर, मौत

नव भारत न्यूज

इंदौर. सिमरोल थाना क्षेत्र के चोरल गांव में 45 वर्षीय महिला ने जहरीला पदार्थ खा लिया. अस्पताल ले जाते समय उसकी मौत हो गई. परिजन का आरोप है कि चाचा की हत्या के मामले में जमानत पर बाहर आए बेटे को लगातार धमकियां मिल रही थीं, जिससे महिला तनाव में थी.

चोरल निवासी अमरलता पति रतन ने देर रात घर में जहरीला पदार्थ खा लिया. हालत बिगड़ने पर परिजन उन्हें अस्पताल ले जा रहे थे, लेकिन रास्ते में ही मौत हो गई. मृतका के बड़े बेटे अशोक ने बताया कि उसके छोटे भाई अभिषेक पर चाचा सुरेश की हत्या का केस है. वह कुछ समय पहले ही जमानत पर जेल से बाहर आया था. सोमवार को मामले की पेशी के लिए अभिषेक महू कोर्ट था. लौटने पर उसने परिवार को बताया कि चाचा के परिजन ने कोर्ट परिसर और रास्ते में उसे धमकियां दी हैं. अशोक ने पुलिस को बताया कि बेटे की बात सुनने के बाद अमरलता तनाव में आ गई थीं, देर रात उन्होंने जहरीला पदार्थ खा लिया. सूचना पर सिमरोल पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है. पुलिस अब परिजनों के आरोपों और आत्महत्या के कारणों की भी जांच कर रही है.

नारकोटिक्स सेल ने 56 किलो गांजा पकड़ा

इंदौर. नशे के खिलाफ चल रही कार्रवाई में इंदौर नारकोटिक्स सेल ने धार जिले के धामनोद में दबिश देकर 56 किलो गांजा जब्त किया है. करीब 11 लाख रुपए कीमत की इस खेप के साथ एक आरोपी को पकड़ा है. नारकोटिक्स सेल को मुखबिर से सूचना मिली थी कि धामनोद के सगरीपुरा क्षेत्र में गांजे की बड़ी खेप रखी गई है. टीम ने ग्राम सुंद्रेल के कहार मोहल्ले में दबिश दी. यहां विक्रम पिता छोगालाल उम्र 49 साल के कब्जे से गांजा बरामद किया. मामले में डीएसपी, नारकोटिक्स सेल, संतोष सिंह हाड़ा ने नव भारत को बताया कि आरोपी से गांजे की खेप के स्रोत और सप्लाई से जुड़े लोगों के बारे में पूछताछ की जा रही है. मामले से जुड़े लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी.

मांगलिया टोल पर बिना हेलमेट वाहन चालकों पर कार्रवाई

- दोपहिया वाहनों की सघन जांच, हेलमेट पहनने की दी समझाइश
- चालान काटकर मौके पर वसूला समन शुल्क भी

नव भारत न्यूज

इंदौर. सड़क हादसों में कमी लाने और यातायात नियमों का पालन कराने के लिए इंदौर ग्रामीण पुलिस ने मांगलिया टोल प्लाजा पर दोपहिया वाहन चालकों की जांच की. बिना हेलमेट वाहन चलाते मिले चालकों के खिलाफ चालानी कार्रवाई कर मौके पर समन शुल्क वसूला गया.

यातायात विभाग, क्षिप्रा थाना और मांगलिया पुलिस चौकी की संयुक्त टीम ने टोल प्लाजा से गुजरने वाले दोपहिया वाहनों को रोककर जांच की. इस दौरान बिना हेलमेट वाहन चलाने वालों पर कार्रवाई की गई. कार्रवाई के साथ पुलिस ने वाहन चालकों को हेलमेट के इस्तेमाल के फायदे भी बताए. अधिकारियों ने कहा कि हेलमेट केवल जुर्माने से बचने के लिए नहीं, बल्कि सड़क हादसे की स्थिति में सिर को गंभीर चोट से बचाने के लिए जरूरी है. ग्रामीण पुलिस के अनुसार यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ अभियान आगे भी जारी रहेगा. वाहन चालकों से दोपहिया चलाते समय हेलमेट और चार पहिया वाहन चलाते समय सीट बेल्ट का इस्तेमाल करने की अपील की गई है.

एक नजर में ग्वालटोली क्षेत्र में पर्याप्त और शुद्ध पेयजल के लिए लोग परेशान, यहां या तो पानी की सप्लाई बिल्कुल नहीं हो रही या फिर नलों से दूषित पानी आ रहा

अमृत योजना के दावों के विपरीत कई क्षेत्रों में नहीं मिल रहा साफ पानी

नव भारत न्यूज

इंदौर. शहर में नगर निगम द्वारा किए जा रहे अमृत योजना के दावों के विपरीत कई क्षेत्रों में आज भी कई लोग पर्याप्त और शुद्ध पेयजल के लिए परेशान हैं. कई इलाकों में पानी की सप्लाई बिल्कुल नहीं हो रही है, तो कहीं लोग दूषित (गंदा) पानी पीने को मजबूर हैं.

ऐसा ही मामला वार्ड क्रमांक 48 अंतर्गत आने वाले बड़ी ग्वालटोली क्षेत्र में सामने आया है. यहां की तस्वीर निगम के इन दावों पर सवाल खड़े कर रही है. क्षेत्र की पतली और छोटी गलियों में रहने वाले कई परिवार आज भी नियमित पेयजल के लिए परेशान हैं. राम मंदिर माया देवी हॉस्टल के पास वाली गलियों के रहवासियों ने नव भारत को बताया कि पीडब्ल्यूडी कार्यालय परिसर में बनी पानी की टंकी से क्षेत्र में जलापूर्ति की जाती है, लेकिन हॉस्टल से लगी कई गलियों के घरों तक पानी पहुंचता ही नहीं. जिन घरों में पानी आता है, वहां कई बार दूषित पानी की शिकायत रहती है. स्थिति यह है कि कुछ परिवार पीने के पानी के लिए पड़ोसियों के घरों पर निर्भर हैं. समस्या वर्षों पुरानी है. कई बार शिकायतें की गईं और पार्षद को भी समस्या बताई गई, लेकिन स्थायी समाधान नहीं हुआ. क्षेत्र में सरकारी बोरिंग की लाइन होने के बावजूद बोरिंग खराब होने पर लोगों को दूर-दराज से पानी लाना पड़ता है. यहां वर्षों पुरानी पाइपलाइन मौजूद है, जबकि अमृत योजना के तहत अब तक कोई ठोस पहल नजर नहीं आई.

यह बोले रहवासी...

हॉस्टल के पीछे की अधिकतर गलियों में पानी बहुत कम आता है. 15 मिनट पानी आता है और नल बंद हो जाते हैं. पार्षद सहित छोटे से बड़े जिम्मेदार तक शिकायतें की गईं, लेकिन समाधान नहीं हो पाया.

– नरेंद्र धीमान

पास लगे क्षेत्र में पानी आता है, लेकिन हमारे यहां तक नहीं पहुंचता. क्षेत्र में पुरानी लाइन डाली है, अमृत योजना का सुनने में आया था, लेकिन अभी तक कोई पहल नहीं की गई.

– रणजीत वर्मा

शुरूआत में काफी देर तक दूषित पानी आता है. पास के क्षेत्रवासी पानी भर लेते हैं, उसके बाद अच्छा पानी आता है, तब तक नल बंद हो जाते हैं. पीने का पानी हम पड़ोसियों से लेते हैं.

– आशीष कुमार बोरासी

अक्सर शिकायत मिलती है, क्योंकि टंकी से प्रेशर कम आता है. इस कारण यहां समस्या बन जाती है. अमृत योजना के तहत सर्वे हो चुका है, जहां-जहां समस्याएं हैं, वहां पहले कार्य कर लोगों को लाभ दिलाएंगे.

– विजयालक्ष्मी गोहर, पार्षद